श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री

छत्तीसगढ़ शासन

श्री श्याम बिहारी जायसवाल
माननीय मंत्री, पिछड़ा वर्ग
एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2025-26

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2025-26

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

भार साधक मंत्री - मान. श्री श्याम बिहारी जायसवाल

*****

मंत्रालय

प्रमुख सचिव - श्री सोनमणि बोरा

संयुक्त सचिव - श्री अनुपम त्रिवेदी

*****

संचालनालय

आयुक्त - डॉ. सारांश मित्तर

विषय-सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
	भाग - एक	
1.	विभाग का परिचय	1
2.	विभाग का दायित्व एंव कार्य	2
3.	विभाग के अधीन गठित आयोग/मण्डल एवं अन्य समितियाँ	3-17
	भाग - दो	
4.	विभागीय बजट प्रावधान एवं व्यय की जानकारी	18
5.	विभाग द्वारा संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावासों की जानकारी	19
	भाग - तीन	
6.	विभाग द्वारा संचालित अन्य प्रमुख योजनाएं-ऑनलाईन शिष्यवृत्ति वितरण, छात्र भोजन सहाय योजना, खाद्यान्न सुरक्षा योजना	20-21
7.	क्रीड़ा परिसर	22
8.	ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	23-24
9.	छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम	25-28
	भाग - चार	
10.	फ्लैगशिप योजनाएं - राजीव युवा उत्थान योजनाः संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी, छ.ग. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे तथा व्यापम जैसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र	29-31
11.	मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना	32-34
12.	अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)	35-37
	भाग - पाँच	
13.	छत्तीसगढ़ में घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची	38-42
	भाग - छः	
14.	सारांश	43

भाग - एक

छत्तीसगढ का मानचित्र

अध्याय - 1
विभाग का परिचय

भारत के संविधान में निहित सामाजिक न्याय एवं समान अवसर की भावना के अनुरूप अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु राज्य शासन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का गठन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4), 46 तथा अन्य प्रावधानों के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के हितों की सुरक्षा एवं अनुच्छेद 29, 30 एवं अन्य प्रावधानों अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग की उन्नति सुनिश्चित करना विभाग का प्रमुख उद्देश्य है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या 255.45 लाख है, इसमें एक बड़ी जनसंख्या पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय की है। छ.ग. राज्य के विकास में इस वर्ग का भी बड़ा योगदान है। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 9 दिसम्बर 2022 की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–1/2022/एक (1) अनुसार आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के नाम में संशोधन कर आदिम जाति विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग किया गया है।

विभाग का मूल उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों, युवाओं एवं परिवारों को शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार तथा कौशल विकास के माध्यम से मुख्यधारा से जोड़ना है। इसके अंतर्गत छात्रवृत्ति योजनाएँ, छात्रावास संचालन, कोचिंग योजनाएँ, प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्व–रोजगार योजनाएँ तथा विभिन्न वित्तीय सहायता कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

भारत के संविधान में व्यक्त 'सामाजिक न्याय' के संकल्प ने पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक जातियों को समानता के अधिकार से संपन्न करते हुये उनकी प्रगति के रास्ते खोल दिए हैं। संविधान की मंशा के अनुरूप पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक जातियों के शैक्षणिक विकास एवं आर्थिक उन्नति की योजनाऐं बनी। उन्हें क्रियान्वित कर संबंधित वर्गों को विकास–यात्रा में शामिल करने के निरंतर प्रयास हुये। इन प्रयासों के परिणाम भी सामने आए। इन वर्गों के लिए मानव अधिकार सूचकांक में अपेक्षाकृत सुधार परिलक्षित हुआ है। साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदायों की विशिष्ट उपलब्धियॉ रेखांकित की जाने लगी है। सामाजिक, आर्थिक विकास के फलस्वरूप इन वर्गों की प्रतिष्ठा में लगातार वृद्धि हुई है। शासन–प्रशासन में इनकी सहभागिता सम्मानजनक रूप से बढ़ी है। फिर भी विकास की यह यात्रा अभी और लंबी है एवं प्रगति के अनगिनत सोपान तय किये जाने हैं। विभाग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क कोचिंग, छात्रावास सुविधा एवं उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्वरोजगार हेतु ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य किया जाता है।

राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर तक विभाग की प्रशासनिक संरचना के माध्यम से योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाता है। विभाग सामाजिक समावेशन, समान अवसर एवं सतत विकास के सिद्धांतों पर कार्य करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

❑❑❑❑❑

अध्याय - 2
विभाग का दायित्व एवं कार्य

- संविधान के प्रावधानों के अनुरूप अन्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों एवं हितों की रक्षा करना।
- अन्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु योजनाओं का संचालन करना।
- अन्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए छात्रवृत्ति, छात्रावास, कोचिंग, स्वरोजगार एवं कौशल विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन।
- विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित अन्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग संबंधी हितग्राही योजनाओं का समन्वय, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन।
- कमजोर एवं अति पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण हेतु विशेष कार्यक्रमों का निर्माण एवं क्रियान्वयन।
- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए जारी दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना।
- अन्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के हितों से संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था करना।

विभाग का कार्य

- विभागीय अमले से संबंधित समस्त प्रशासनिक कार्यों का संचालन।
- अन्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, छात्रावास एवं शिक्षा सहायता योजनाओं का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।
- अन्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं हेतु स्वरोजगार, उद्यमिता विकास एवं कौशल उन्नयन कार्यक्रमों का संचालन।
- अन्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए निर्धारित बजट का उचित आवंटन एवं उपयोग सुनिश्चित करना।
- अन्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के प्रमाण–पत्रों के सत्यापन एवं संबंधित प्रकरणों का निराकरण।
- केंद्र एवं राज्य प्रवर्तित योजनाओं की समीक्षा, मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन।
- सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से अन्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग की स्थिति का आकलन एवं आवश्यक सुधारात्मक सुझाव देना।

❑❑❑❑❑

अध्याय - 3
विभाग के अधीन गठित आयोग / मंडल एवं अन्य समितियां

छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

प्रदेश में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या तथा उनकी शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशा के पिछड़ेपन की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए तथा भारतीय संविधान में पिछड़े वर्गों को प्रदत्त सुविधाएँ एवं प्रदत्त आरक्षण को सम्यक रूप से लागू करने पर विचार कर शासन को सुझाव देने के लिए ऐसे ट्राइब्यूनल तथा आयोग के गठन की आवश्यकता महसूस हो रही थी, जो राज्य के अधीन सेवाओं में तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण हेतु पिछड़े वर्गों की सूची में अपेक्षित समावेशन/विलोपन तथा ततसंबंधी शिकायतों पर सम्यक रूप से विचार कर अनुशंसा देने का कार्य कर सके।

छत्तीसगढ़ राज्य में भी पिछड़े वर्गों की शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति एवं गंभीर दशा को दृष्टिगत रखते हुए पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यों को निरंतरता प्रदाय करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन वर्ष 2005 में किया गया एवं छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम के अधीन प्रयुक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 23.01.2007 को प्रथम माननीय अध्यक्ष श्री नारायण चंदेल की नियुक्ति की गई। आयोग ने 8 फरवरी 1985 के राजपत्र में प्रकाशित अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची एवं 5 अप्रैल 1997 में मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संशोधित सूची को आधार मानकर कार्य प्रारंभ किया। आयोग के द्वितीय अध्यक्ष के रूप में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा माननीय अध्यक्ष के रूप में डॉ. सोमनाथ यादव दिनांक 24 नवम्बर 2011 से 18 दिसम्बर 2013 तक अध्यक्ष पद पर मनोनीत रहे। आयोग के तृतीय अध्यक्ष के रूप में डॉ. सियाराम साहू दिनांक 04.07.2015 से 16.07.2020 तक मनोनित रहे। चतुर्थ अध्यक्ष के रूप में श्री थानेश्वर साहू ने दिनांक 17.07.2020 से 23.10.2023 तक कर्तव्यों का निर्वहन किया। वर्तमान में आयोग के अध्यक्ष के पद पर श्री नेहरू राम निषाद (केबिनेट मंत्री दर्जा) एवं उपाध्यक्ष के पद पर श्रीमती चंद्रकांति वर्मा (राज्य मंत्री दर्जा) पदस्थ है।

छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की उपलब्धियाँ

1. छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को विगत 2 वर्षों में अ.पि.व. के हित संरक्षण संबंधी 170 शिकायतें प्राप्त हुई, जिन्हें पंजीकृत किया गया जिसमें से 148 शिकायतें प्रकरण निराकृत हुए। वर्तमान में 22 प्रकरण आयोग में प्रक्रियाधीन है।
2. छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को छ.ग. राज्य की अ.पि.व. राज्य की सूची में जाति शामिल करने हेतु 7 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 4 जातियों के आवेदन पत्र निराकृत हुए। वर्तमान में 03 जातियों का अनुसंधान कार्य प्रक्रियाधीन है, जो क्रमशः पद्मशाली, कुडुक एवं मलार हैं।
3. छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को छ.ग. राज्य की अ.पि.व. केन्द्रीय सूची में जाति शामिल करने हेतु 7 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 5 जातियों के आवेदन पत्र निराकृत हुए। वर्तमान में 02 जातियों का अनुसंधान कार्य प्रक्रियाधीन है, जो क्रमशः बरगाह एवं खर्रा हैं।
4. छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को छ.ग. राज्य की अ.पि.व. केन्द्रीय सूची में जाति संबंधी त्रुटि सुधार हेतु 04 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 03 निराकृत हुए। एक आवेदन सुन्डी जाति का प्रक्रियाधीन है।

टीप :-

- आयोग द्वारा 'तान्ती, महकुर, भुलिया' जाति को राज्य की सूची में शामिल करने हेतु राज्य शासन को अनुशंसा प्रेषित की गई।
- आयोग द्वारा 'रावत, ठेठवार, भुलिया, महाकुल' जाति को केन्द्रीय सूची में शामिल करने हेतु राज्य शासन को अनुशंसा प्रेषित की गई।
- आयोग द्वारा 'केंवट, बैरागी, देवांगन, जाति को त्रुटि सुधार करने हेतु राज्य शासन को अनुशंसा की गयी।
- छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा अ.पि.व. के प्रस्थिति निर्धारण हेतु क्रीमीलेयर की आय सीमा 13.00 लाख किये जाने हेतु अनुशंसा राज्य शासन को प्रेषित की गई है।
- बस्तर संभाग अन्तर्गत जिला दंतेवाड़ा में एनएमडीसी शिक्षा सहयोग योजनांतर्गत पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्रदाय किये जाने अनुशंसा की गई।
- बस्तर संभाग अन्तर्गत जिला दंतेवाड़ा में एनएमडीसी बालिका शिक्षा योजनांतर्गत पिछड़ा वर्ग के छात्राओं को निःशुल्क नर्सिंग प्रशिक्षण योजना का लाभ प्रदाय किये जाने अनुशंसा की गई।
- बस्तर संभाग अन्तर्गत जिला दंतेवाड़ा में एनएमडीसी द्वारा कर्मचारियों के स्थानीय भर्ती के समय जिले के मूल निवासियों को प्राथमिकता देते हुए ज्यादा से ज्यादा भागीदारी बढ़ाये जाने की अनुशंसा की गई।
- बस्तर संभाग अन्तर्गत जिला दंतेवाड़ा जिला में बड़ा हॉस्पिटल होने के कारण सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल बनाये जाने की अनुशंसा की गई।

वर्ष 2025-26 में आयोग की गतिविधियाँ -

आयोग द्वारा जिला जशपुर, कोरबा, कबीरधाम एवं बेमेतरा में अन्य पिछड़ा वर्ग की सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति के आंकलन हेतु जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक एवं जनसुनवाई की गई जिसके माध्यम से अनेक प्रकरणों का निपटारा किया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग

प्रस्तावना - छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का मुख्य उद्देश्य राज्य में निवास करने वाले अल्पसंख्यक समुदायों (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी) के हितों का संरक्षण करना है। भारत सरकार, राज्य सरकार एवं आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित कई कल्याणकारी योजनाएं अल्पसंख्यक वर्ग पर भी लागू होती हैं। इस प्रतिवेदन का उद्देश्य वर्तमान स्थिति का आकलन करना और विभागीय समन्वय को बेहतर बनाना है।

छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं चार सदस्यों के पद स्वीकृत हैं। श्री अमरजीत सिंह छाबड़ा, अध्यक्ष का दिनांक 08.05.2025 को मनोनयन किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा 09 मई 2025 को पदभार ग्रहण किया गया है। वर्तमान में एक उपाध्यक्ष एवं सदस्य के चार पद रिक्त है।

माननीय अध्यक्ष महोदय को राज्य मंत्री दर्जा प्रदान किया गया है। छ.ग. शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के एफ 19–19/2019/54 दिनांक 9 मई 2024 द्वारा अल्पसंख्यक आयोग को विधि के अनुसार मान्य किया गया है। वित्त निर्देश 08/2016 देय सुविधा के अनुसार भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी

- हज कमेटी एवं उनके सदस्यों का यह कर्तव्य रहेगा कि वे हज यात्रियों के हितों के प्रति निर्धारित नीतियों एवं दर्शाये गये निर्देशों का सही रूप से पालन करें और उसका क्रियान्वयन करें।
- राज्य हज समिति, हज यात्रियों को, उनके हितों को ध्यान में रखकर हज यात्रा संबंधी सभी सुविधायें उपलब्ध करायेगी जैसे–केन्द्रीय हज कमेटी के निर्देशानुसार हज आवेदन फार्म उपलब्ध कराना आवेदित हज फार्म इच्छुक यात्रियों से प्राप्त कर पंजीयन करना। आवेदन फार्म केन्द्रीय हज समिति को प्रस्तुत कर मंजूरी प्राप्त करना। हज यात्रा की रकम बाबत् आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना। हज यात्रियों को प्रशिक्षित करना। हज यात्रियों के टीकाकरण कार्य में आवश्यक सहयोग करना तथा आवास व्यवस्था आदि।
- हज कमेटी हज यात्रियों को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराएगी, उनके गृह राज्य से भारत से रवानगी स्थान (इम्बारकेशन प्वाइंट) तक आवागमन के लिये सहायता उपलब्ध करायेगी तथा आवश्यक हो तो परिवहन व्यवस्था भी उपलब्ध कराएगी।
- राज्य हज कमेटी हर ऐसे कार्य को करने हेतु कर्त्तयपरायण रहेगी जो, हज कार्य से संबंधित हो एवं ऐसे अन्य कार्य जिसे करने के लिये राज्य शासन द्वारा या केन्द्रीय सरकार के परामर्श से निर्धारित किया गया हो।

छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड :-

उद्देश्य :- वक्फ अधिकरण वक्फ संपत्तियों से जुड़े कानूनी विवादों को सुलझाने वाला एवं विशेष न्यायालय है, जो वक्फ प्रशासन को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाता है। वक्फ अधिकरण एक विशेष न्यायिक निकाय है, जो वक्फ संपत्तियों (धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दान की मुस्लिम संपत्तियों) से जुड़े विवादों और मामलों का निपटारा करता है, जैसे संपत्ति के स्वामित्व, अतिक्रमण, मुतवल्लियों (प्रबंधकों) को हटाने और वक्फ भूमि के लेन–देन से जुड़े मामले, ताकि वक्फ प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता लाई जा सके और मामलों का शीघ्र समाधान हो सके।

विवादों का समाधान :- यह वक्फ से संबंधित कानूनी विवादों (जैसे स्वामित्व, अतिक्रमण, वक्फ भूमि पर अवैध कब्जे) को सुनता और हल करता है।

प्रशासनिक मामलों की सुनवाई :- मुतवल्लियों (प्रबंधकों) को हटाने या नियुक्त करने और वक्फ संपत्तियों के हस्तांतरण (बिक्री, पट्टा, विनिमय) को मंजूरी देने जैसे मामलों पर निर्णय लेता है।

त्वरित न्याय :- यह सामान्य अदालतों के बजाय विशेष रूप से इस कार्य के लिए गठित होता है, जिससे मामलों का जल्दी निपटारा होता है।

छ.ग. राज्य उर्दू अकादमी :-

छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी का गठन एवं स्थापना :- छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक/डी–3011/1345/2003/आजावि/रायपुर, दिनांक 08 जुलाई 2003 द्वारा राज्य शासन उर्दू साहित्य के प्रोत्साहन, संरक्षण, नये रचनात्मक और आलोचनात्मक उर्दू साहित्य के प्रकाशन, साहित्य सम्मेलन, परिचर्चा, गोष्ठियों आदि के आयोजन के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी का गठन कर स्थापना की गयी। अकादमी कार्य एवं सोसायटी एक्ट के तहत क्रमांक छ.ग.रा. –380, दिनांक 16.09.2003 द्वारा पंजीकृत है।

छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी के गठन के उद्देश्य एवं कार्य :-

- छत्तीसगढ़ में उर्दू भाषा, तालीम और उर्दू साहित्य के प्रोत्साहन, संरक्षण के लिए आवश्यक प्रयत्न करना।
- नये रचनात्मक और आलोचनात्मक उर्दू साहित्य का प्रकाशन।
- साहित्य सम्मेलन, परिचर्चा, गोष्ठियाँ आदि का आयोजन।
- लायब्रेरियों को इमदाद, जरूरतमंद और बीमार लेखकों को माली–मदद, साहित्यिक और सांस्कृतिक इदारों को उनके आयोजनों के लिए सहायता प्रदान करना।
- उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए अन्य उपाय करना।

वक्फ न्यायाधिकरण :-

गठन, उद्देश्य एवं कार्य

छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड का गठन दिनांक 25.07.2005 को हुआ।

वक्फ बोर्ड इस्लामिक विधि द्वारा दान की गई चल–अचल सम्पत्तियों की देख–रेख एवं प्रबंधन करता है। यह एक संरक्षक के रूप में कार्य करती है जो यह सुनिश्चित करे कि वक्फ सम्पत्तियों का उपयोग पवित्र, धर्मिक एवं खैराती प्रयोजन के लिए किया जाये।

- एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास नियम, 1995 (वक्फ संशोधित अधिनियम 2025) का पालन सुनिश्चित कराना।
- वक्फ सम्पत्तियों को राजस्व अभिलेखों में वक्फ सम्पत्ति अहस्तांतरणीय दर्ज कराये जाने हेतु समस्त जिला कार्यालयों में म्यूटेशन आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिस जिला स्तर पर प्रक्रियाधीन है।
- वक्फ सम्पत्ति को अतिक्रमण मुक्त कराया जाना।
- केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं की जानकारी समस्त जिलों में स्थित वक्फ संस्थाओं के पदाधिकारियों के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराया जाना।

- वक्फ सम्पत्तियों का GIS/GPS Tagging कराया जाना।
- office फाइलिंग में कार्य और e attendance के माध्यम किया जा रहा है।

उपलब्धि

- छ.ग. प्रदेश में राजपत्र एवं औकाफ के अनुसार लगभग 2006 से अधिक वक्फ सम्पत्तियां हैं जिनमें से UMEED Central Portal, 2025 में समय–सीमा के भीतर 1734 वक्फ सम्पत्तियों को अपलोड कराया गया है शेष मौजूदा वक्फ सम्पत्तियों को पोर्टल में दर्ज किये जाने हेतु अधिनियम के प्रावधानों अनुसार माननीय वक्फ अधिकरण रायपुर से 02 माह का अतिरिक्त समय प्राप्त किया गया है जिसके अनुसार शेष मौजूदा वक्फ सम्पत्तियों की अपलोडिंग का कार्य प्रारंभ है।
- संयुक्त संसदीय समिति वक्फ, लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली द्वारा चाही गई जानकारियों को समय–सीमा में तैयार कर विभाग के उच्च अधिकारीयों के मार्गदर्शन में संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
- संयुक्त संसदीय समिति वक्फ के समक्ष दिनांक 28.09.2024 को बोर्ड के माननीय सदस्यगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण छ.ग.राज्य वक्फ बोर्ड से सम्बंधित जानकारी के साथ उपस्थित हुए।
- एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास नियम, 1995 (वक्फ संशोधित अधिनियम 2025) के सम्बंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में प्रस्तुत याचिका क्रमांक 276/2025 में राज्य शासन की ओर से समय–सीमा में 10 जवाबदावा प्रस्तुत किए गए।

- राज्य में स्थित जिलों, न्यायालय तहसीलदार, न्यायालय नजूल अधिकारी के न्यायालयों में म्यूटेशन का कार्य विगत 02 वर्षों से कार्य किया जा रहा है जो प्रक्रियाधीन है।
- भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिकृत आई.आई.टी. दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के कार्यों की समीक्षा हेतु छत्तीसगढ़ भ्रमण किया गया जिसमें छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली को पूरे देश में शीर्ष 05 स्कोरर में से चतुर्थ स्थान प्राप्त हुआ है।
- छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित मस्जिद के मुतवल्लियों का चुनाव कराया गया।
- वक्फ सम्पत्ति पर काबिज अवैध कब्जेधारियों पर अधिनियम के प्रावधान अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

बजट और व्यय :-

वित्तीय वर्ष 2025–2026 में प्राप्त प्रावधान राशि 165.00 लाख रू. में राशि 60 लाख रू. प्राप्त हुई है उक्त आंबटित राशि का व्यय किया जा चुका है।

भविष्य की कार्य योजना

वक्फ संस्था के अधीन आने वाली वक्फ सम्पत्ति चिन्हांकित कर संस्था प्रमुख से सम्पर्क कर उक्त भूमि पर Charitable Purpose हेतु महिला छात्रावास, हॉस्पिटल, हॉस्टल, स्कूल बिल्डिंग आदि का निर्माण कराया जाना।

उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत वक्फ संस्थाओं का बेहतर एवं पारदर्शी प्रबंधन, संचालन, मुतवल्ली कमेटी का गठन आदि कराया जाना।

अधिनियम के प्रावधानों के प्रकाश में वक्फ सम्पत्तियों की जानकारी UMEED पोर्टल में अपलोड कराया जाना।

वक्फ संस्थाओं के मुतवल्लियों को वक्फ सम्पत्ति पट्टा नियम का पालन सुनिश्चित कराना।

वक्फ संस्थाओं से सम्पर्क किया जाकर समस्त संभाग में स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, काउंसलिग सेंटर की स्थापना कराया जाना।

एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास पोर्टल (UMEED PORTAL) में Existing Waqf Properties को अपलोड कराये जाने के सम्बंध में 03 संभाग स्तरीय ट्रेनिंग (रायपुर, बिलासपुर एवं सरगुजा) में आयोजित की गई है जिसमें वक्फ सम्पत्तियां पोर्टल में किस प्रकार अपलोड की जानी है, उसकी जानकारी दी गई।

UMEED Act, 1995 (वक्फ संशोधित अधिनियम, 2025) के सम्बन्ध में एक दिवसीय व्याख्यान माला , दिनांक 01–05–2025 स्थान–मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम रायपुर मुख्यवक्ता श्री डॉ जितेन्द्र सिंह जी माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री, भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विभागीय मंत्री जी, माननीय विधायकगण माननीय सांसदगण, बोर्ड के माननीय सदस्यगण, समाज प्रमुख, प्रदेश की समस्त वक्फ़ संस्थाओं के मुतवल्लीगण। केंद्रीय मंत्री माननीय श्री किरेन रिजीजू जी से डॉ सलीम राज, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने भेंट कर छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा किये जा रहे कार्यों को जानकारी दी गई।

छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग :-

राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 16 जुलाई 2024 के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप राज्य में पिछड़ा वर्ग समुदायों का सर्वे कर उनकी सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का प्रतिवेदन राज्य शासन को उपलब्ध कराने के लिये छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया।

संगठनात्मक एवं प्रशासनिक संरचना -

आयोग के कार्यों के संचालन के लिये अध्यक्ष एवं 06 सदस्यों की नियुक्तियों का प्रावधान है। मान. आर. एस. विश्वकर्मा सेवानिवृत्त (आई.ए.एस.) को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देते हुये आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। शिक्षा, संस्कृति आदि से संबद्ध श्री नीलांबर नायक, श्री यशवंत वर्मा, श्री हरिशंकर यादव, श्री बलदाउराम साहू, श्री कृष्णा गुप्ता एवं श्रीमती शैलेन्द्री परगनिहा को सदस्य नियुक्त किया गया है।

प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन के लिये संयुक्त कलेक्टर स्तर के अधिकारी को सचिव का पद दिया गया है एवं लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की पदस्थापना की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्त आय-व्यय का विवरण -

प्राप्त आबंटन (लाख रू. में)	व्यय राशि	शेष राशि
1,60,18,395.00	22,31,683.00	1,37,86,712.00

आयोग द्वारा निष्पादित किये गये कार्य -

पिछड़ा वर्ग समुदायों का सर्वे - आयोग द्वारा राज्य में जिला कलेक्टरों के माध्यम से समस्त जिलों में पिछड़ा वर्ग समूहों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का सर्वे कार्य वर्ष 2024–25 में कराया गया एवं 54 बिंदुओं पर आधारित प्रपत्र के आधार पर जनसांख्यिकीय आंकड़ा भी राज्य शासन का प्रस्तुत किया जिसके आधार पर वर्ष 2025 में राज्य में स्थानीय ग्राम पंचायत निकायों में एवं नगरीय निकायों में पिछड़ा वर्गों के लिये पदों का आरक्षण पूर्ण किया गया एवं निर्विघन निर्वाचन संपन्न कराए गए।

जिला स्तरीय बैठकें - आयोग के पदाधिकारियों द्वारा प्रतिवेदन अवधि तक राज्य के 17 जिलों में जिलास्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक जिला कलेक्टरों की उपस्थिति में ली जा चुकी है। इन जिलों में केंद्र एवं राज्य पोषित योजनाओं में पिछड़ा वर्गों के प्रतिनिधित्व की गहन समीक्षा की गयी है एवं योजनाओं में सहभागिता में आई कमी के कारणों को चिन्हित किया गया है। शेष 16 जिलों में आगामी 06 माह में समीक्षा बैठक पूर्ण कर ली जाएगी।

सामाजिक समूहों के साथ सम्मिलन - आयोग ने उपरोक्तानुसार भ्रमण के दौरान 17 जिलों में पिछड़ा वर्गों के विभिन्न सामाजिक समूहों के जिला प्रमुखों के साथ भी बैठक ली है तथा पिछड़ा वर्ग समुदायों के लिये कल्याणकारी योजनाओं की स्थिति की समीक्षा कर स्थानीय समस्याओं, मांगों का संकलन किया है।

सर्वे कार्य का ऑनलाईन पोर्टल पर डेटा एंट्री - आयोग द्वारा पिछड़ा वर्गों के सर्वे कार्य के आंकड़ों को सुरक्षित रखने के दृष्टिकोण से आंकड़ों की पोर्टल एंट्री के लिये वेबसाईट और पोर्टल न्यूनतम व्यय पर तैयार करवाया है आगामी 06 माह में यह कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

एक्सपोजर विजिट - आयोग द्वारा देश के उन उच्चतम शोध संस्थानों में एक्सपोजर विजिट का प्रस्ताव तैयार किया गया है जहां समाज के निम्नतम वर्गों के कल्याण के लिये अनुसंधान किया जा रहा है एवं पिछड़ा वर्ग समुदायों की सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक उन्नति के लिये शोध एवं अध्ययन किया जा रहा है।

छ.ग. तेलघानी विकास बोर्ड :-

छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 16 जुलाई 2021 के माध्यम से छत्तीसगढ़ तेलघानी विकास बोर्ड का गठन तेलघानी के परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने, युवाओं, स्वसहायता समूहों को कौशल विकास प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार स्थापना में सहायता देने, तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने एवं इन क्षेत्रों में सुधारात्मक सुझाव समय–समय पर देने के लिये किया गया है। गत 27 अप्रैल 2025 को जितेंद्र कुमार साहू को अध्यक्ष नियुक्त कर बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है।

संगठनात्मक एवं प्रशासनिक व्यवस्था - तेलघानी बोर्ड में एक अध्यक्ष एवं चार सदस्य नियुक्त किये जाने का प्रावधान है। प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन के लिये एक प्रबंध संचालक के पद का प्रावधान है जिसकी सहायता के लिये सचिव, सहायक अनुसंधान अधिकारी के एक–एक पद के साथ लिपिक वर्गीय कर्मचारियों का सेटअप स्वीकृत है।

वित्तीय व 2025-26 में प्राप्त आय-व्यय का विवरण -

क्र.	विवरण	प्राप्त आबंटन (लाख रू. में)	व्यय राशि	शेष राशि
1	001 – स्थापना अनुदान	13.00	13.00	–
2	012 – अन्य अनुदान	10.00	7.12	2.88
	महायोग :- (वित्तीय वर्ष 2025-26)	**23.00**	**20.12**	**2.88**

बोर्ड द्वारा विगत आठ माह (मई 2025 से दिसंबर 2025 तक) में किये गये कार्य -

विभागीय बैठक - तेलघानी बोर्ड द्वारा समय समय पर जिला स्तर पर विभिन्न प्रशासनिक विभागों की समीक्षा बैठक ली जाती है। 26 नवंबर 2025 को गरियाबंद जिले में समस्त जिलास्तरीय विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर तेलघानी एवं तिलहन के उत्पादन की स्थानीय परिस्थितियों, केंद्र एवं राज्य प्रवर्तित योजनाओं की स्थिति की गहन समीक्षा की गई। रोजगार मेला गरियाबंद में बोर्ड अध्यक्ष द्वारा इन योजनाओं की जानकारी उपस्थित युवा वर्ग के साथ साझा की गई।

तेलघानियों का निरीक्षण - बोर्ड द्वारा ग्राम मैनपुर जिला गरियाबंद, कसडोल जिला बलौदाबाजार एवं जिला सरगुजा में स्थापित तेलघानियों का निरीक्षण किया गया। स्थानीय बाजार, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, विपणन व्यवस्था एवं उनमें आ रही समस्याओं की जानकारी ली गई।

किसान सम्मेलन - बोर्ड अध्यक्ष महोदय द्वारा जिला बेमेतरा, दुर्ग, सारंगढ़–बिलाईगढ़, बालोद एवं बलौदाबाजार में स्थानीय कृषक समुदायों एवं विभिन्न सामाजिक समुदायों के सम्मेलन में हिस्सा लिया एवं स्थानीय तिलहन उत्पादन व कृषि परिस्थितियों की जानकारी ली गई तथा शासन द्वारा तेलघानी संचालन के लिये दी जा रही सहायताओं के बार में समुदायों को अवगत कराया गया।

हितग्राहियों का पंजीयन - बोर्ड द्वारा तेलघानी का परंपरागत व्यवसाय चला रहे व्यवसायियों, स्व सहायता समुहों एवं युवाओं का बोर्ड में पंजीयन प्रारंभ किया गया है। पंजीयन निःशुल्क किया जा रहा है।

पंजीयन उपरांत ईच्छुक हितग्राहियों का कौशल विकास प्रशिक्षण कराया जायेगा एवं उच्चस्तरीय तेलघानी संयंत्रों का भ्रमण कराया जायेगा। उन्हें परिचय पत्र और प्रमाणपत्र भी प्रदाय किया जायेगा।

नई कार्ययोजना - बोर्ड द्वारा 7 करोड़ 5 लाख बजट की एक द्विवर्षीय विकास योजना–अमृत तेलघानी योजना, सेहत और समृद्धि की धारा तैयार की गई है जिसमें 13 चिन्हांकित जिलों–गरियाबंद, सरगुजा, बेमेतरा, कवर्धा, सारंगढ़–बिलाईगढ़, दुर्ग, रायपुर, बालोद, राजनांदगांव, खैरागढ़, महासमुंद, बलौदाबाजार एवं बिलासपुर में नई तेलघानी ईकाईयों की स्थापना की योजना है। इस योजना के माध्यम से राज्य के 2000 से ज्यादा युवाओं एवं प्रशिक्षितों को स्वरोजगार में स्थापित करने का लक्ष्य है। धान के स्थान पर तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये किसान सम्मेलन सभी जिलों में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

जिलों से जानकारियों का संकलन - बोर्ड द्वारा उद्योग संचालनालय के माध्यम से समस्त जिला कलेक्टरों से पत्राचार कर राज्य के समस्त जिलों में स्थापित एवं पंजीकृत तेलघानी उद्योगों की जानकारी ली गई है। उद्योग विभाग द्वारा प्रदाय की गई जानकारी संलग्न है।

शासन के अन्य विभागों के साथ समन्वय - बोर्ड द्वारा तेलघानी और तिलहन को बढ़ावा देने के लिये संबद्ध विषयों और प्रस्तावित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये राज्य शासन के अन्य विभागों कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग, उद्योग विभाग, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के साथ चर्चा की गई है एवं समन्वय हेतु प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

ई-ऑफिस एवं ई अटेंडेंस का क्रियान्वयन प्रारंभ - राज्य शासन के दिशा–निर्देशों के परिपालन में बोर्ड कार्यालय में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की आनलाईन अटेंडेंस को 01 जनवरी 2026 से प्रारंभ कर दिया गया है। इसी तारतम्य में कार्यालय के समस्त पत्राचार अब ई–ऑफिस साफ्टवेयर के माध्यम से किया जा रहा है।

छ.ग. लौह शिल्पकार विकास बोर्ड :-

गठन - राज्य शासन द्वारा लौह शिल्प के सर्वांगीण विकास एवं लौह शिल्पकारों के विकास एवं आजीविका में सुधार एवं संरक्षण के उद्देश्य से छ.ग. लौह शिल्पकार विकास बोर्ड का गठन वर्ष 2021 मे किया गया है।

उद्देश्य - राज्य में लौह शिल्पकार को योजनाओं के माध्यम से स्व–रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। उन्नत प्रशिक्षण एवं उन्नत उपकरण प्रदान करना। लौह शिल्पकार का आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग करना। छ.ग. में लौह शिल्पकार को बढ़ावा देना तथा लौह शिल्पकार से संबंधित गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों के रूचि को प्रोत्साहन देना है।

बोर्ड की संरचना - छ.ग. लौह शिल्पकार बोर्ड में वर्तमान में अध्यक्ष श्री प्रफुल्ल विश्वकर्मा, सचिव, श्री रमाकांत मिश्रा एवं सहा. अनुसंधान अधिकारी श्रीमती रूखमणी साहू पदस्थ हैं। बोर्ड सेटअप के अनुसार बोर्ड में 8 पद स्वीकृत है जिसमें सचिव के पद पर श्री रमाकांत मिश्रा एव सहा. अनु. अधिकारी के पद पर श्रीमती रूखमणी साहू है।

बजट प्रावधान - वित्तीय वर्ष 2025–26 में राशि रू. 60.00 लाख का बजट प्रावधान है, जिसमें से 50.00 लाख रू. स्थापना मद एवं 10.00 लाख रू. सहायक अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ है।

प्रस्तावित कार्य योजना - ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के परंपरागत लौह शिल्पकारों का पंजीयन बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में शिल्पकारों का पंजीयन का कार्य निरंतर जारी है। इस उद्देश्य से प्रथम चरण में जिला रायपुर में 15–15 बैच के कुल 30 लोगों का प्रशिक्षण कराया गया है। भविष्य में यह कार्य सतत प्रगतिशील है। पंजीयन उपरांत उनको त्रिस्तरीय प्रशिक्षण कराया जाना है। सभी जिलों में क्रमशः विभागीय बैठक लेकर लौह शिल्पकारों की परिस्थितियों की समीक्षा की जावेगी एवं बोर्ड की बैठक में चर्चा उपरांत नीतियों एवं योजनाओं के उन्नयन के लिये सुझाव राज्य शासन को प्रस्तावित किया जाएगा। चयनित लौह शिल्पकारों को राज्य के भीतर एवं बाहर जागरूकता भ्रमण कराया जावेगा। लौह शिल्पप्रदर्शनी का आयोजन भी बोर्ड द्वारा किया गया है।

वित्तीय संस्थाओं के साथ समन्वय कर लौह शिल्पियों को आसान ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। गाँवों के परंपरागत लौह शिल्प के कार्य से जुड़े शिल्पकारों को आधुनिक/उन्नत मशीन (भट्टी) में परिवर्तित किया जायेगा। राज्य एवं संभाग स्तर पर लौह शिल्पकारों के विक्रय एवं विपणन हेतु एम्पोरियम की स्थापना की जायेगी।

छत्तीसगढ़ रजककार विकास बोर्ड

राज्य शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में असाधारण प्राधिकार से प्रकाशित अधिसूचना क्र. 383 दिनाँक 16 जुलाई 2021 के द्वारा छत्तीसगढ़ छ.ग. रजककार विकास बोर्ड का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ रजककार विकास बोर्ड, छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम है अन्य पिछड़ा वर्ग जाति विभाग द्वारा संचालित रजककार विकास बोर्ड का मुख्य उद्देश्य राज्य में रजककार्य को बढ़ावा देना तथा रजक व्यवसाय से जुड़े लोगों को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है तथा रजककार व्यवसाय को प्रशिक्षण के माध्यम से पुनर्जीवित करते हुए अधिक से अधिक बेरोजगारों को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए परम्परागत/गैर परम्परागत रजक व्यवसायियों को स्वरोजगार में स्थापित कर निरंतर विकास करना है तथा बाजार की समुचित व्यवस्था कर रजककार हितग्राहियों के बेहतरीन जीवन का मार्ग प्रशस्त करना बोर्ड का मुख्य उद्देश्य है। इस दिशा में बोर्ड निरंतर प्रयासरत है।

रजककार विकास बोर्ड के मुख्य उद्देश्य :-

1. राज्य के हितग्राहियों को रजककार योजनाओं के माध्यम से स्व–रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
2. उन्नत प्रशिक्षण एवं उन्नत उपकरण प्रदान करना।
3. रजककार हितग्राहियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग, स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों से ऋणग्रस्त रजककार को राज्य शासन की योजनांतर्गत आवश्यक मदद करना।
4. छत्तीसगढ़ में रजककार व्यवसाय को बढ़ावा देना तथा रजककार से संबंधित गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों के रूचि को प्रोत्साहन देना।
5. प्रदेश के रजककार व्यवसाय का संरक्षण, संवर्धन एवं विकास विस्तार करना तथा लुप्त होती परम्पराओं को पुनर्जीवित करना।
6. प्रदेश के परम्परागत/गैर परम्परागत/गैर कृषि सेक्टर में कार्यरत अंशकालिक मजदूर/बेरोजगार युवक–युवतियों को रजककार व्यवसाय जैसे ड्रायक्लीनिंग प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगारोन्मुखी बनाना।
7. प्रदेश में रजककार क्षेत्र में रोजगार सृजन एवं आर्थिक सम्पन्नता हेतु हितग्राहियों को अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध कराना।

क्र.	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स लेवल	बोर्ड में भर्ती का प्रकार	कुल पद	भरे पद	रिक्त पद
1	सचिव	13	प्रतिनियुक्ति	1	1	0
2	सहायक अनुसंधान अधिकारी	12	प्रतिनियुक्ति	1	0	1
3	शीघ्रलेखक	7	प्रतिनियुक्ति / संविदा	1	0	1
4	सहायक वर्ग – 02	6	प्रतिनियुक्ति / संविदा	1	0	1
5	सहायक वर्ग – 03	4	प्रतिनियुक्ति / संविदा	2	0	2
6	भृत्य	1	प्रतिनियुक्ति / आउटसोर्स	2	0	2
कुल योग				**8**	**1**	**7**

छ.ग. रजककार विकास बोर्ड अंतर्गत सचिव पद के विरूद्ध श्री रमाकांत मिश्रा पदस्थ है तथा बोर्ड में अध्यक्ष के रूप श्री प्रहलाद रजक जी को शासन द्वारा नियुक्त किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट प्रावधान राशि रू. 60.00 लाख के विरूद्ध राशि रू. 001–स्थापना अनु. मद अंतर्गत राशि रू. 50.00 लाख एवं 002 सहायक अनुरक्षण मद अंतर्गत राशि रू. 10.00 लाख शत् प्रतिशत बजट बोर्ड को प्राप्त हुआ है। यह बजट संपूर्णतः स्थापना बजट है तथा बोर्ड में योजना संचालित नहीं होने के कारण योजना की राशि सम्मिलित नहीं है।

भविष्य में धोबी समाज के उत्थान के लिए पंजीयन, प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार तथा ऋण सहायता उपलब्ध कराने हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जा रहा है।

❑❑❑❑❑

भाग - दो

अध्याय - 4
विभागीय बजट प्रावधान एवं व्यय की जानकारी

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास

विभागीय बजट (वित्तीय वर्ष 2023-24) मार्च 2024 की स्थिति में (राशि लाख में)

क्रं.	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	अन्य पिछडा वर्ग	54410.02	29963.10	55.07
योग:-		**54410 02**	**29963 10**	**55 07**

विभागीय बजट (वित्तीय वर्ष 2024-25) मार्च 2025 की स्थिति में (राशि लाख में)

क्रं.	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	अन्य पिछडा वर्ग	23691.32	18589.54	78.47
योग:-		**23691.32**	**18589.54**	**78.47**

विभागीय बजट (वित्तीय वर्ष 2025-26) दिसम्बर 2025 की स्थिति में (राशि लाख में)

क्रं.	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	अन्य पिछडा वर्ग	22031.50	17023.60	77.27
योग :-		**22031.50**	**17023.60**	**77.27**

विभाग द्वारा संचालित विकास योजना (अन्य पिछड़ा वर्ग) (राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2023-24				वर्ष 2024-25				वर्ष 2025-26			
		बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	युवा कॅरियर निर्माण योजना	66.80	33.80	100	100	66.80	14.20	विद्यार्थी	100	46.80	29.22	200	200
2	अन्य पिछड़ा वर्ग पो.मै. छात्रवृत्ति	48224	26490.00	छात्र/छात्राएं	269964	15000.00	15000.00	छात्र/छात्राएं	254240	15000.00	15000.00	छात्र/छात्राएं	स्वीकृति एवं भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
3	छात्रावास/आश्रम एवं शाला भवनों का निर्माण	1350.00	1350.00	15	2	1000.00	1000.00	17	1	2000.00	1110.45	18	4

❑❑❑❑❑

अध्याय - 5
विभाग द्वारा संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावासों की जानकारी

शैक्षणिक सत्र 2025-26 की स्थिति में

छात्रावासों की संख्या

अनु. क्र.	वर्ग	छात्रावास की संख्या			स्वीकृत सीट्स
		प्री.मैट्रिक	पो.मैट्रिक	योग	
1	अन्य पिछड़ा वर्ग	8	47	55	3550
योग		**8**	**47**	**55**	**3550**

शैक्षणिक सत्र 2025-26 की स्थिति में

अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास

अनु. क्र.	छात्रावास का नाम	कुल संचालित छात्रावासों की संख्या			स्वीकृत सीट्स		
		बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
1	प्री मैट्रिक	3	5	8	150	250	400
2	पोस्ट मैट्रिक	24	23	47	1600	1550	3150
योग		**27**	**28**	**55**	**1750**	**1800**	**3550**

❑❑❑❑❑

भाग - तीन

अध्याय - 6
विभाग द्वारा संचालित अन्य प्रमुख योजनाएं

ऑनलाईन शिष्यवृत्ति वितरण :-

अन्य पिछड़ा वर्ग प्री. मैट्रिक छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों को मेस संचालन हेतु शिष्यवृत्ति की राशि वर्ष 2015–16 से ऑनलाईन के माध्यम से प्रदाय की जा रही है। विभाग द्वारा संचालित प्री मैट्रिक छात्रावासों एवं आश्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों को प्रतिमाह शिष्यवृत्ति राशि रूपये 1500/– प्रदान की जाती है। वर्तमान में शिष्यवृत्ति का वितरण ऑनलाईन किया जाता है। शिष्यवृत्ति की राशि राज्य स्तर से जिले के अधीक्षकों एवं छात्रावास नायक के संयुक्त खाते में हस्तांतरित की जाती है। विद्यार्थियों के मासिक उपस्थिति तथा मेस डाइट चार्ट के आधार पर विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति भुगतान किया जाता है। इस प्रक्रिया से समय की बचत तथा पारदर्शिता आई है। शिष्यवृत्ति मद में वर्ष 2025–26 हेतु प्रावधानित राशि रूपये 80.60 लाख प्रावधानित है।

(राशि लाख में)

क्रं.	योजना का नाम	प्राप्त आवंटन
1	2	3
1	अन्य पिछड़ा वर्ग शिष्यवृत्ति योजना (छात्रावास)	80.60
योग		**80.60**

छात्र भोजन सहाय योजना :-

भारत सरकार की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनांतर्गत छात्रों को छात्रावासी दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिनसे छात्रावासी विद्यार्थियों को ये छात्रवृत्तियां उनके मात्र भोजन की पूर्ति कर पाती है। छात्रावासी विद्यार्थियों की बढ़ती उम्र के अनुरूप संतुलित शारीरिक मानसिक विकास हेतु अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए विशेष पोषण आहार के लिए अतिरिक्त राशि प्रदाय करने के लिए छात्र भोजन सहाय योजना वर्ष 2005–06 से प्रारंभ की गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यह योजना वर्ष 2015–16 से प्रारंभ की गई है।

वर्ष 2023–24 में राशि रूपये 700/– में वृद्धि करते हुये राशि रूपये 1200/– प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी किया गया है।

योजना के तहत् वर्ष 2025–26 के लिए बजट प्रावधान की जानकारी निम्नानुसार है :–

(राशि लाख में)

वर्ग	प्रावधान
अन्य पिछड़ा वर्ग	250.00
योग -	**250.00**

खाद्यान्न सुरक्षा योजना :-

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्यान्न सुरक्षा योजना वर्ष 2013 से प्रांरभ की गई है। उक्त योजना अन्तर्गत विभाग द्वारा संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास–आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों के साथ–साथ विशिष्ट संस्था/अशासकीय संस्थाओं में निवासरत विद्यार्थियों को भी रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। योजना अन्तर्गत वर्तमान में राशि रूपये 6.25/– के दर से प्रति विद्यार्थी प्रति माह 15 किलो के मान से छात्रावास अधीक्षक द्वारा चावल का उठाव किया जाता है। स्टेट पुल के चावल का उठाव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा निर्धारित दर लगभग राशि रूपये 28/– से 30/– का भुगतान विभाग द्वारा किया जाता है। खाद्यान्न सुरक्षा योजना अतंर्गत वर्ष 2025–26 के लिए प्रावधान निम्नानुसार है :–

(राशि लाख में)

वर्ग	प्रावधान
अन्य पिछड़ा वर्ग	30.00
योग -	**30.00**

❑❑❑❑❑

अध्याय - 7
क्रीड़ा परिसर

छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के खेल प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करने के लिए आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा वर्तमान में 02 क्रीड़ा परिसर संचालित किये जा रहे है, जिनमें प्रति क्रीड़ा परिसर 100 सीट के मान से कुल 200 सीट स्वीकृत हैं। ये क्रीड़ा परिसर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के साथ संबद्ध हैं। इन संस्थाओं में अध्यनरत छात्र–छात्राएं अपनी खेल प्रतिभा को विकसित करते हुए निरंतर अध्यनरत है। क्रीड़ा परिसरों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	जिला का नाम	संस्था का नाम	मुख्य खेल विधाएं				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रायपुर	अन्य पिछड़ा वर्ग बालक क्रीड़ा परिसर गोगॉव रायपुर	खो–खो	वेटलिफ्टिंग	तीरंदाजी	बैडमिंटन	एथलेटिक्स
2	बिलासपुर	अन्य पिछड़ा वर्ग बालक क्रीड़ा परिसर बिलासपुर जिला बिलासपुर	कबड्डी	तैराकी	बैडमिंटन	फुटबॉल	एथलेटिक्स

क्रीड़ा परिसर में प्रवेशित विद्यार्थियों को सुविधाएं :-

प्रत्येक क्रीड़ा परिसर में बालक/कन्या आवासीय सुविधा सहित खेल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। प्रत्येक बालक/कन्या को प्रतिमाह रुपये 1500 शिष्यवृत्ति एवं रुपये 500 पोषण आहार हेतु, इस प्रकार कुल राशि रुपये 2000 प्रतिमाह दिया जाता है।

विभागीय क्रीड़ा परिसर में प्रत्येक विद्यार्थी को वर्ष में एक बार राशि रुपये 3000 मूल्य की संपूर्ण खेल पोषाक दी जाती है, जिसमें 01 ट्रैक सूट, 01 स्पोर्टस/वार्मअप शूज, 02 जोड़ी मोजा एवं 02 जोड़ी संबंधित खेल की पोषाक सम्मिलित है।

खेल उपलब्धि :-

1. 69वीं राष्ट्रीय शालेय कबड्डी क्रीड़ा प्रतियोगिता दुर्ग में आयोजित हुई, जिसमें बालक14 वर्ष कबड्डी टीम छत्तीसगढ़ ने अपने फाइनल मैच में बिहार की टीम को 54–25 के मुकाबले जीत दर्ज करते हुए 29 अंको से विजयी होकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, छत्तीसगढ टीम में क्रीडा परिसर बिलासपुर के 04 खिलाडी थे। इस टीम के कैप्टन क्रीड़ा परिसर के खिलाडी शिवा खैरवार थे।
2. राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता जगदलपुर में एथलेटिक्स विधा में बालक क्रीडा परिसर बिलासपुर के विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया।

❑❑❑❑❑

अध्याय - 8
ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

उद्देश्य :-

प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के दौरान आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। यह योजना 100 प्रतिशत राज्य पोषित योजना है।

ई मेधा - ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक (महाविद्यालय स्तर) छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण की प्रक्रिया

छात्रवृत्ति का समय पर स्वीकृत एवं भुगतान सुनिश्चित करने एवं इसके मॉनीटरिंग करने में विभाग को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था, इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों एवं पालकों को समय पर एवं सही छात्रवृत्ति न मिलने की शिकायतें आती रहती थी। प्रक्रिया के सरलीकरण एवं समस्याओं के निराकरण हेतु वर्ष 2012–13 से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पूरी प्रकिया का कम्प्यूटराइजेशन किया जाकर आनलाईन आवेदन एवं स्वीकृति की व्यवस्था के माध्यम से छात्रवृत्ति योजना को पारदर्शी बनाया गया है। इस हेतु विभागीय वेबसाइट (www.postmatric-scholarship.cg.nic.in) तैयार की गई है, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करके बायोडाटा की प्रविष्टि एक बार करने के पश्चात् उसे पूरे अध्ययनकाल में छात्रवृत्ति प्राप्त होती रहेगी तथा प्रतिवर्ष नये आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

वर्ष 2015–16 से सभी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति उनके बैंक एकाउंट में ही स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है, जिसके अनुसार विद्यार्थियों के खाते में छात्रवृत्ति राशि का हस्तांतरण ऑनलाईन के माध्यम से किया जा रहा है।

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 10.03.2015 के द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अंतर्गत वर्ष 2015–16 से कक्षा 11वीं एवं 12वीं की छात्रवृत्ति का संचालन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। कक्षा 12वीं से उच्चतर कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति संचालन का कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2024–25 में कुल 254240 विद्यार्थियों को राशि रूपये 15235.28 लाख की छात्रवृत्ति का वितरण किया गया है।

विभाग द्वारा किया गया नवाचार :-

विभाग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु पोस्ट मैट्रिक महाविद्यालयीन स्तर छात्रवृत्ति योजना का संचालन किया जा रहा है। पूर्व की व्यवस्था अनुसार ऑनलाईन छात्रवृत्ति का भुगतान वर्ष में 01 बार माह जनवरी से माह मार्च के मध्य किया जाता था। व्यापक लोकहित एवं छात्रहित को ध्यान में रखते हुए सघन एवं सर्तक रूप से विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान करने हेतु शिक्षा सत्र 2025–26 से नवीन व्यवस्था के तहत् पंजीयन/स्वीकृति एवं भुगतान की तिथियों का निर्धारण कर समय–सीमा के भीतर छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है।

नवाचार का प्रभाव :-

विगत वर्ष 2024–25 में 10 दिसम्बर 2024 तक महाविद्यालयीन स्तर की स्वीकृति प्रारंभ नहीं हो पाई थी, जबकि नई व्यवस्था उपरान्त दिनांक 10 दिसम्बर 2025 तक अन्य पिछड़ा वर्ग महाविद्यालयीन स्तर के विद्यार्थियों के लक्ष्य 150000 के विरूद्ध 81909 (54%) विद्यार्थियों को राशि रूपये 5319.00 लाख (61%)का भुगतान किया जा चुका है। इस प्रकार नवीन व्यवस्था लागू कर समय–समय पर समीक्षा करने से तथा निर्धारित समयावधि में छात्रवृत्ति का वितरण सुनिश्चित हुआ है, जिससे सुशासन की व्यवस्था से जन विश्वास में वृद्धि हुई है।

विगत तीन वर्षों के छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं भुगतान निम्नानुसार है :–

OBC Post Matric scholarship		
Year	**Students**	**Amount (in lakhs)**
2022-23	330006	13393.83
2023-24	269964	14416.06
2024-25	254240	15235.28

छात्रवृत्ति की दर (पिछड़ा वर्ग)

यह योजना मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की पिछड़ा वर्ग मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना वर्ष 1988–89 विनियम द्वारा संचालित है। छात्रवृत्ति अंतर्गत शुल्क प्रतिपूर्ति एवं निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाता है।

आय–सीमा– रू. 1,00,000/– तक वार्षिक

वर्तमान में उक्त छात्रवृत्ति राज्य योजना से दी जा रही है। निर्वाह भत्ता की दरें निम्नानुसार है :–

समूह	छात्रवृत्ति की दरें (माहवार रूपये)				
	अध्ययन का वर्ष	छात्रावासी		गैर छात्रावासी	
		छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
अ – मेडिकल तथा इंजीनियरिंग	प्रथम वर्ष	210	220	100	100
	द्वितीय वर्ष	210	225	100	115
बी – व्ही.एस.सी. तथा बी.एस.सी. (कृषि)	प्रथम वर्ष	185	195	100	110
	द्वितीय वर्ष	185	200	100	115
आ – डिप्लोमा कोर्सेस, मेडिकल टेक्नालॉजी तथा पोस्ट ग्रेजुएट साइंस	प्रथम वर्ष	135	135	100	110
	द्वितीय वर्ष	130	145	105	120
इ – सर्टीफिकेट कोर्सेस इंजीनियरिंग, मेडिकल टेक्नालॉजी तथा पोस्ट ग्रेजुएट, आर्ट एवं कामर्स	प्रथम वर्ष	125	135	100	110
	द्वितीय वर्ष	130	145	105	115
ई – सर्टिफिकेट कोर्सेस अप टू ग्रेजुएट लेवल व बाद के वर्ष	प्रथम वर्ष	100	110	55	70
	द्वितीय वर्ष	115	130	70	85
स – कक्षा – 11 वीं		100	110	50	60
कक्षा – 12 वीं		100	110	55	70

❑❑❑❑❑

अध्याय - 9

छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम लक्षित वर्ग के कौशल विकास एवं स्वरोजगार हेतु प्रतिबद्ध

पिछड़ा वर्ग

छत्तीसगढ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एंव विकास निगम, रायपुर, छत्तीसगढ सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन क्रमांक 223 दिनांक 30.10.2000 में पंजीकृत है। निगम द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक एंव सफाई कामगार वर्गो के आर्थिक विकास की व्यक्तिमूलक योजनाओ का संचालन किया जाता है। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा 16 अंत्यावसायी व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र राज्य के विभिन्न स्थानों पर संचालित किये जा रहे है।

उद्देश्य -

पिछड़ा वर्ग को विभिन्न व्यवसायों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाना है, ताकि वे स्वरोजगार प्राप्त कर आत्मनिर्भर हो सकें।

राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगम की आर्थिक विकासपरक विभिन्न स्वरोजगारमूलक कल्याणकारी योजनाएं

छ.ग. राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगम की वित्तीय ऋण सहायता से विभिन्न प्रकार की स्वरोजगारोन्मुखी योजनाओं का सफाई कामगार वर्ग हेतु संचालित करता है।

राष्ट्रीय निगम की चेनलाईजिंग एजेन्सी

छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की चैनेलाइजिंग एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

राष्ट्रीय निगम की वित्तीय सहायता से संचालित योजनाएं

विभिन्न राष्ट्रीय निगम वित्तीय सहायता से टर्म लोन योजना हेतु संचालित किया जाता है।

व्यवसायों की सूची

पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को स्वरूचि के व्यवसाय जैसे सब्जी फल उत्पादन, बागवानी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, ब्यूटी पार्लर, नाई सेलून की दुकान, साइकिल रिपेयरिंग, कम्प्यूटर रिपेयरिंग, घरेलू विद्युत फिटिंग वायरिंग, होटल ढाबा, सिलाई दुकान, ऑटो पार्ट्स, जूता चप्पल आदि क्षेत्रीय आवश्यकताजनित व्यवसाय। ये व्यवसाय मात्र उदाहरण स्वरूप है, हितग्राी स्वरूचि व स्थानीय मांग एंव पूर्ति के आधार पर व्यवसाय चयन के लिए स्वतंत्र है।

राष्ट्रीय निगम से संचालित योजनाओं में पात्रता

1. आवेदक संबंधित जिले का मूल निवासी हो।
2. आवेदक पिछड़े वर्ग का हो। (सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र)

3. परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रू. 300000/– से अधिक न हो।
4. आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के अधिक न हो। इसके अतिरिक्त मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक या बिजली बिल एंव संबधित का पासपोर्ट साइज फोटो
5. ऋण स्वीकृति की स्थिति में आवेदक को ऋण के बराबर का गारंटी दिया जाना आवश्यक होगा।

ब्याज दर

ऋण राशि रू. अधिकतम 2,00,000/– तक की विभिन्न योजनाओं में ब्याज दर 6% वार्षिक।

योजनाओं का प्रचार-प्रसार

छ.ग. राज्य अंत्यावसायी वित्त एंव विकास निगम द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय निगमों की वित्तीय सहायता से संचालित योजनाओं का जिला स्तर पर दैनिक समाचार पत्रों, शिविर आयोजित कर एवं ब्रोशर पाम्पलेट छपाकर किया जाता है।

चयन प्रक्रिया

हितग्राहियों का चयन राज्य शासन द्वारा गठित जिला स्तरीय हितग्राही चयन समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें मान. सांसद, मान. विधायक एंव विभिन्न शासकीय विभागों के सदस्य होते है।

सम्पर्क

राज्य स्तरीय कार्यालय–प्रबंध संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (टी.आर.आई.) द्वितीय तल, मुक्तांगन के पास, सेक्टर–24 नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

जिला कार्यालय–जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति सभी 33 जिला मुख्यालय में।

पिछड़ा वर्ग माइक्रो फाईनेंस योजनांतर्गत जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, धमतरी से लाभान्वित हितग्राही

जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति धमतरी द्वारा संचालित पिछड़ा वर्ग माइक्रो फाईनेंस इकाई लागत रू. 0.50 लाख योजना वर्ष 2022–23 के तहत हितग्राही श्री मनोज कुमार चन्द्राकर पिता/पति श्री राम गुलाल, निवासी–ग्राम सेनचुवा पो. छाती तहसील–धमतरी, जिला–धमतरी (छ.ग.) को किराना स्टोर्स व्यवसाय हेतु ऋण राशि रू. 50000 वितरीत किया गया है।

हितग्राही का चयन, दिनांक 13.07.2022 को आयोजित जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में किया गया। चयन पश्चात हितग्राही को ऋण राशि रू. 50000 चेक क्रमांक 299658, दिनांक 26.09.2022 के माध्यम से हितग्राही के भारतीय स्टेट बैंक, छाती के खाता संख्या–41310775878 में अंतरण कर वितरित कर लाभान्वित किया गया है।

हितग्राही को किराना स्टोर्स व्यवसाय हेतु 6 प्रतिशत ब्याज दर पर 05 वर्ष की समयावधि के लिये ऋण वितरित किया गया है, जिसे हितग्राही द्वारा मासिक किश्त रू. 934 को 60 किश्तों में प्रतिमाह जमा किया जा रहा है।

हितग्राही ग्रामीण क्षेत्र से है। हितग्राही की शैक्षणिक योग्यता 8 वी एवं उम्र 43 वर्ष है। विभाग से ऋण लेने से पहले हितग्राही बेरोजगार था। अंत्यावसायी धमतरी से ऋण प्राप्त होने के उपरांत उनके आय में वृद्धि हुई है, जिससे उनका जीवन स्तर में सुधार आया है। वह अपने व अपने परिवार का भरण–पोषण अच्छे से कर रहा है। संचालित व्यवसाय से रू. 6000/–की आमदनी प्रतिमाह हो रही है। हितग्राही द्वारा व्यवसाय की आय से ऋण की नियमित किस्त समय पर जमा कर रहा है।

अल्पसंख्यक वर्ग

छत्तीसगढ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एंव विकास निगम, रायपुर, छत्तीसगढ सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन क्रमांक 223 दिनांक 30.10.2000 में पंजीकृत है। निगम द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक एंव सफाई कामगार वर्गों के आर्थिक विकास की व्यक्तिमूलक योजनाओ का संचालन किया जाता है। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा 16 अंत्यावसायी व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र राज्य के विभिन्न स्थानों पर संचालित किये जा रहे है।

उद्देश्य -

अल्पसंख्यक वर्ग को विभिन्न व्यवसायों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाना है, ताकि वे स्वरोजगार प्राप्त कर आत्मनिर्भर हो सकें। इसके अतिरिक्त इन वर्गों के विद्यार्थियों के लिए व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। व्यवसायिक उच्च शिक्षा हेतु ऋण देश या विदेश में अध्ययन के लिए दिया जाता है।

राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगम की आर्थिक विकासपरक विभिन्न स्वरोजगारमूलक कल्याणकारी योजनाएं

छ.ग. राज्य अंत्यावसायी वित्त एंव विकास निगम राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगम की वित्तीय ऋण सहायता से विभिन्न प्रकार के स्वरोजगारोन्मुखी योजनाओं का सफाई कामगार वर्ग हेतु संचालित करता है।

राष्ट्रीय निगम की चेनलाईजिंग एजेन्सी

छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की चैनेलाइजिंग एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

राष्ट्रीय निगम की वित्तीय सहायता से संचालित योजनाएं

विभिन्न राष्ट्रीय निगम वित्तीय सहायता से टर्म लोन हेतु संचालित किया जाता है।

व्यवसायों की सूची

अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्यों को स्वरूचि के व्यवसाय जैसे सब्जी फल उत्पादन, बागवानी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, ब्यूटी पार्लर, नाई सेलून की दुकान, साइकिल रिपेयरिंग, कम्प्यूटर रिपेयरिंग, घरेलू विद्युत फिटिंग वायरिंग, होटल ढाबा, सिलाई दुकान, ऑटो पार्ट्स, जूता चप्पल आदि क्षेत्रीय आवश्यकताजनित व्यवसाय। ये व्यवसाय मात्र उदाहरण स्वरूप हैं, हितग्राही स्वरूचि व स्थानीय मांग एवं पूर्ति के आधार पर व्यवसाय चयन के लिए स्वतंत्र है।

राष्ट्रीय निगम से संचालित योजनाओं में पात्रता

1. आवेदक संबंधित जिले का मूल निवासी हो।
2. आवेदक अल्पसंख्यक वर्ग का हो। (सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र)
3. परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रू. 300000/– से अधिक न हो।
4. आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के अधिक न हो। इसके अतिरिक्त मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक या बिजली बिल एंव संबधित का पासपोर्ट साइज फोटो
5. ऋण स्वीकृति की स्थिति में आवेदक को ऋण के बराबर का गारंटी दिया जाना आवश्यक होगा।

ब्याज दर

ऋण राशि रू. अधिकतम 2,00,000/– तक की विभिन्न योजनाओं में ब्याज दर 6% वार्षिक।

योजनाओं का प्रचार-प्रसार

छ.ग. राज्य अंत्यावसायी वित्त एंव विकास निगम द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय निगमों की वित्तीय सहायता से संचालित योजनाओं का जिला स्तर पर दैनिक समाचार पत्रों, शिविर आयोजित कर एंव ब्रोशर पाम्पलेट छपाकर किया जाता है।

चयन प्रक्रिया

हितग्राहियों का चयन राज्य शासन द्वारा गठित जिला स्तरीय हितग्राही चयन समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें मान. सांसद, मान. विधायक एंव विभिन्न शासकीय विभागों के सदस्य होते है।

सम्पर्क

राज्य स्तरीय कार्यालय–प्रबंध संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (टी.आर.आई.) द्वितीय तल, मुक्तांगन के पास, सेक्टर–24 नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

जिला कार्यालय – जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति सभी 33 जिला मुख्यालय में।

अल्पसंख्यक वर्ग टर्म लोन योजना जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, अकलतरा (जिला-जांजगीर-चाम्पा) से लाभान्वित हितग्राही :-

जावेद खान पिता मोहम्मद इकबाल ग्राम+पोस्ट अकलतरा तह. अकलतरा जिला जांजगीर–चाम्पा (छ.ग.) को व्यवसाय सीएससी च्वाईस सेन्टर, मासिक आय राशि रू. 12 हजार से 15 हजार तक, अल्पसंख्यक वर्ग टर्म लोन योजना, वि.स. क्षेत्र अकलतरा जिला जांजगीर–चाम्पा।

❑❑❑❑❑

भाग - चार

अध्याय - 10
फ्लैगशिप योजनाएँ

राजीव युवा उत्थान योजना

उद्देश्य :- पूर्व में यह योजना युवा कॅरियर निर्माण योजना के नाम से संचालित थी। योजनांतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निजी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा, बैकिंग परीक्षा, कर्मचारी चयन आयोग, रेल्वे भर्ती बोर्ड, छ.ग. व्यापम तथा अन्य संस्थानों द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। इस हेतु अभ्यर्थियों का चयन राज्य स्तर पर प्राक्चयन परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। वर्ष 2025–26 में उक्त योजना अंतर्गत कुल 923.40 लाख का बजट प्रावधान है, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 46.80 लाख का बजट प्रावधान है।

राजीव युवा उत्थान योजना अंतर्गत 03 घटक हैं -

1. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु
2. छ.ग. राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी
3. एस.एस.सी., बैकिंग, रेलवे तथा व्यापम जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र

1. **संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु :-** इस योजना अन्तर्गत छ.ग. राज्य के प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नई दिल्ली स्थित कोचिंग संस्थाओं में कोचिंग की सुविधा प्रदान की जाती है। विभाग द्वारा अभ्यर्थियों हेतु ट्रायबल यूथ हॉस्टल में आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को अपनी इच्छा अनुसार कोचिंग संस्थाओं के समीप आवासीय सुविधा भी प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों को राशि रूपये 12000/– प्रतिमाह स्टायपेन्ड प्रदाय किया जाता है।

स्वीकृत सीट :-

वर्ष 2024–25 में कुल 200 सीट स्वीकृत है। इसमें 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वर्ग, 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति वर्ग एवं 20 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु निर्धारित है :–

अन्य पिछडा वर्ग :-

वर्ष	स्वीकृत सीट	प्रवेशित सीट
2022–23	10	10
2023–24	12	11
2024–25	40	31

विशेष उपलब्धि :-

वर्ष 2025 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में 01 विद्यार्थी – श्री प्रकाश पटेल (अन्य पिछडा वर्ग) का मुख्य परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर साक्षात्कार की तैयारी कर रहे है।

2. **छ.ग. राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी :-**

राजीव युवा उत्थान योजना के तहत् छ.ग. राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु वर्ष 2025–26 से कुल 200 सीटें स्वीकृत हैं, जिसमें 50 सीट जिला रायपुर, 50 सीट जिला दुर्ग एवं 100 सीट बिलासपुर हेतु निर्धारित हैं।

अन्य पिछडा वर्ग :-

वर्ष	स्वीकृत सीट	प्रवेशित सीट
2022–23	20	20
2023–24	20	20
2024–25	20	13

3. **एस.एस.सी., बैकिंग, रेलवे तथा व्यापम जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु तैयारी हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र -** राजीव युवा उत्थान योजना अंतर्गत संचालित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, जिसमें बैकिंग, रेलवे, व्यापम तथा एस. एस.सी. जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है।

प्रशिक्षण केन्द्र :-

जिला मुख्यालय रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, नारायणपुर एवं कबीरधाम में स्थापित हैं। प्रत्येक परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में 100–100 सीट, इस प्रकार कुल 500 सीट्स स्वीकृत हैं। वर्ष 2022–23 से सभी 05 केन्द्रों में 6–6 माह के दो सत्र संचालित किये गये, इस तरह 1000 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया। इसमें 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वर्ग, 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति वर्ग एवं 20 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु निर्धारित है, यह कोचिंग पूर्णतः आवासीय है।

स्वीकृत एवं प्रवेशित की जानकारी (अन्य पिछड़ा वर्ग) :-

वर्ष	स्वीकृत सीट	प्रवेशित सीट	चयनित विद्यार्थी
2022–23	200	200	8
2023–24	200	200	4
2024–25	200	200	6
2025–26	200	200	प्रशिक्षण प्रक्रियाधीन है

❑❑❑❑❑

अध्याय - 11
मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना

उद्देश्य :-

अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु जिला बिलासपुर में बालिका एवं जिला रायपुर में बालक प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित है। सम्पूर्ण छ.ग. राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक स्कूली शिक्षा के साथ–साथ प्रतियोगी परीक्षाओं यथा –इंजीनियरिंग, मेडिकल, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज (एन.टी.एस.सी.), क्लेट, सी.ए./सी.एस/सी. एम.ए इत्यादि प्रवेश परीक्षाओं हेतु कोचिंग प्रदान कर इन विद्यार्थियों को स्वयं की प्रतिभा के बल पर सफल/सक्षम/प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए तैयार करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के आदेश क्रमांक/एफ–16–24/2023/25–2 दिनांक 23.06.2023 द्वारा मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये प्रयास आवासीय विद्यालय योजना नियमावली वर्ष 2022–23 की स्वीकृति प्रदान की गई है।

वर्ष 2025-26 में स्वीकृत एवं भरे सीट :-

क्र.	जिला	प्रयास आवासीय विद्यालय जहाँ संचालित हैं	विषय	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत सीट संख्या	प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या		
						बालक	कन्या	योग
01	रायपुर	नवीन प्रयास (अन्य पिछड़ा वर्ग) बालक आवासीय विद्यालय, जिला रायपुर	गणित तथा जीवविज्ञान समूह	2023	375	350	—	350
02	बिलासपुर	नवीन प्रयास (अन्य पिछड़ा वर्ग) कन्या आवासीय विद्यालय, जिला बिलासपुर	गणित तथा जीवविज्ञान समूह	2023	375	—	357	357
योग					**750**	**350**	**357**	**707**

वर्ष 2024-25 प्रयास आवासीय विद्यालयों में कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम :-

क्र.	प्रयास विद्यालय का नाम	संस्था में कक्षा 10वीं में पंजीकृत कुल विद्यार्थी	कक्षा 10वीं परीक्षा में बैठे कुल विद्यार्थियों की संख्या	कक्षा 10वीं में 60 प्रतिशत से ऊपर अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या
1	प्रयास कन्या (अन्य पिछड़ा वर्ग) आवासीय विद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)	104	104	103
2	प्रयास बालक (अन्य पिछड़ा वर्ग) आवासीय विद्यालय रायपुर	86	86	86
योग		**190**	**190**	**189**

विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाएं :-

1. प्रयास आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को सभी सुविधाएं यथा अध्यापन, कोचिंग, आवास, भोजन, गणवेश, पुस्तकों की व्यवस्था आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है।
2. अध्यापन एवं कोचिंग की व्यवस्था आऊटसोर्स से "रूचि की अभिव्यक्ति" (EOI) के तहत चयनित कोचिंग संस्था द्वारा करायी जाती है।
3. विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्यापन के साथ–साथ इंजीनियरिंग, मेडिकल, सी.ए./सी.एस, क्लैट की कोचिंग के साथ ही एन.टी.एस.ई., विज्ञान पहेली जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में भी शामिल कराया जाता है।
4. शिष्यवृत्ति के रूप में राशि रूपये 2000/–प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी वर्ष में 12 माह प्रदान किया जाता है।
5. विद्यार्थियों हेतु फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायोलॉजी तथा कम्प्यूटर लैब की सुविधा संस्था में उपलब्ध है।
6. प्रत्येक वर्ष विद्यार्थियों को कोचिंग के लिए स्टडी मटेरियल के रूप में संदर्भ पुस्तिका निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है। विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने हेतु परीक्षा शुल्क भी विभाग की ओर से दिया जाता है।
7. विद्यार्थियों के खेल तथा मनोरंजन की सुविधा भी उपलब्ध करायी जाती है।

लैपटॉप प्रदाय योजना :-

प्रयास आवासीय विद्यालयों से चयनित विद्याार्थी जो वर्तमान शिक्षण सत्र में IIT, NIT, IIIT, MBBS जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थाओं में प्रवेश होने पर उन्हे प्रोत्साहन स्वरूप लैपटॉप/चेक के माध्यम से राशि प्रदान की जाती है।

आर्थिक सहायता योजना :-

प्रयास आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थी जो IIT में प्रवेश प्राप्त कर अध्ययन कर रहे उनको प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी प्रोत्साहन स्वरूप राशि रू. 40000/– की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना :-

योजना का उद्देश्य प्रतिभावान एवं गरीब छात्रों को IIT, AIIMS, IIM, NLU, MBBS शासकीय मेडिकल व इंजीनियरिंग जैसे संस्थानो में चयनित विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए आर्थिक सहायता राशि रूपये 50,000/– (एक बार) प्रदान करना है।

❑❑❑❑❑

अध्याय - 12

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)

अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2007 यथा संशोधित नियम, 2012 का क्रियान्वयन

छ.ग. राज्य में वर्ष 2008 से अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2007 यथा संशोधित नियम, 2012 का कियान्वयन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के वन निवासी आवेदक अधिनियम के अनुसार अन्य परंपरागत वन निवासी की श्रेणी में आते है। वन भूमि पर अन्य परंपरागत वन निवासी (अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक भी शामिल) आवेदक द्वारा कब्जे का दावा करने हेतु दिनांक 13.12.2005 कट ऑफ डेट निर्धारित है। अन्य परंपरागत वन निवासी के मामले में दावाकर्ता का कट ऑफ डेट के पूर्व से तीन पीढ़ियों (75 वर्ष) से उस क्षेत्र के वन/वन भूमि में निवासरत होना एवं आजीविका की वास्तविक आवश्यकताओं हेतु उन पर निर्भर होना आवश्यक है।

राज्य में 30.11.2025 तक व्यक्तिगत वन अधिकार हेतु अन्य परंपरागत वन निवासियों (अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक भी शामिल) के 2,39,894 आवेदन/दावे प्राप्त हुए, जिनमें से 58,323 दावे स्वीकृत कर 58,129 वन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। राज्य में अन्य परंपरागत वन निवासियों (अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक भी शामिल) के आवेदकों को व्यक्तिगत वन अधिकारों की मान्यता 37,347.677 हेक्टेयर वन भूमि पर प्रदाय की गई है। इसी प्रकार सामुदायिक वन अधिकार (अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक भी शामिल) हेतु 52,005 आवेदन/दावे प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 48,277 दावे स्वीकृत कर 48,251 वन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। तथा सामुदायिक वन अधिकारों की मान्यता कुल 17,47,799.331 हेक्टेयर वन भूमि पर प्रदाय की गई है।

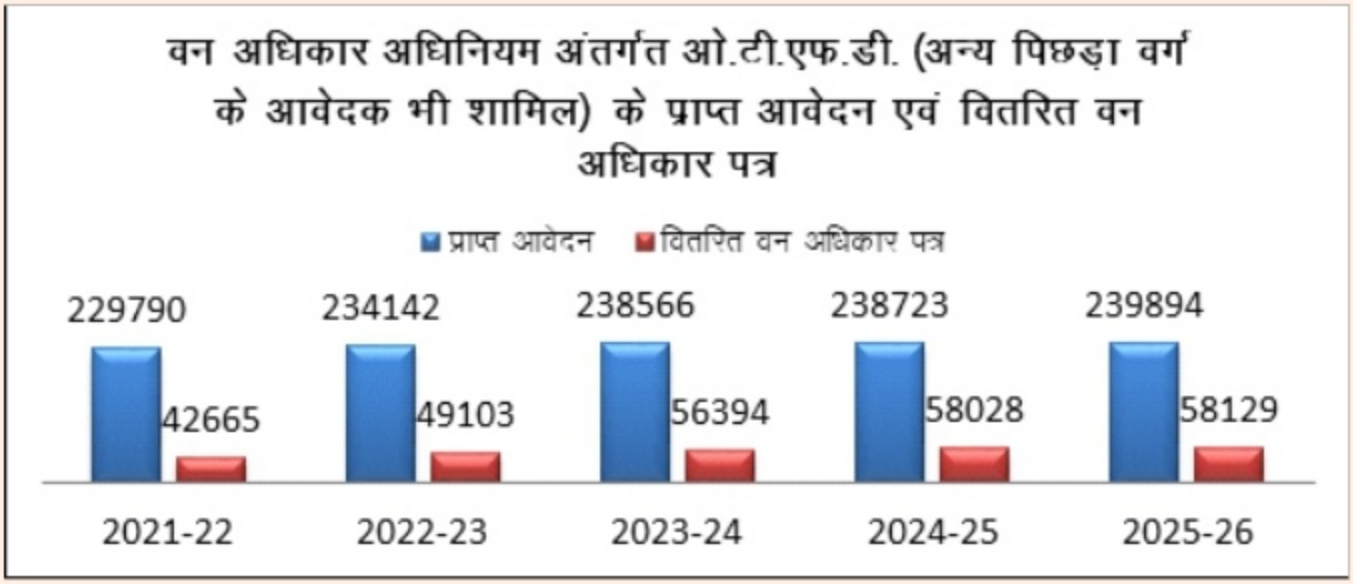

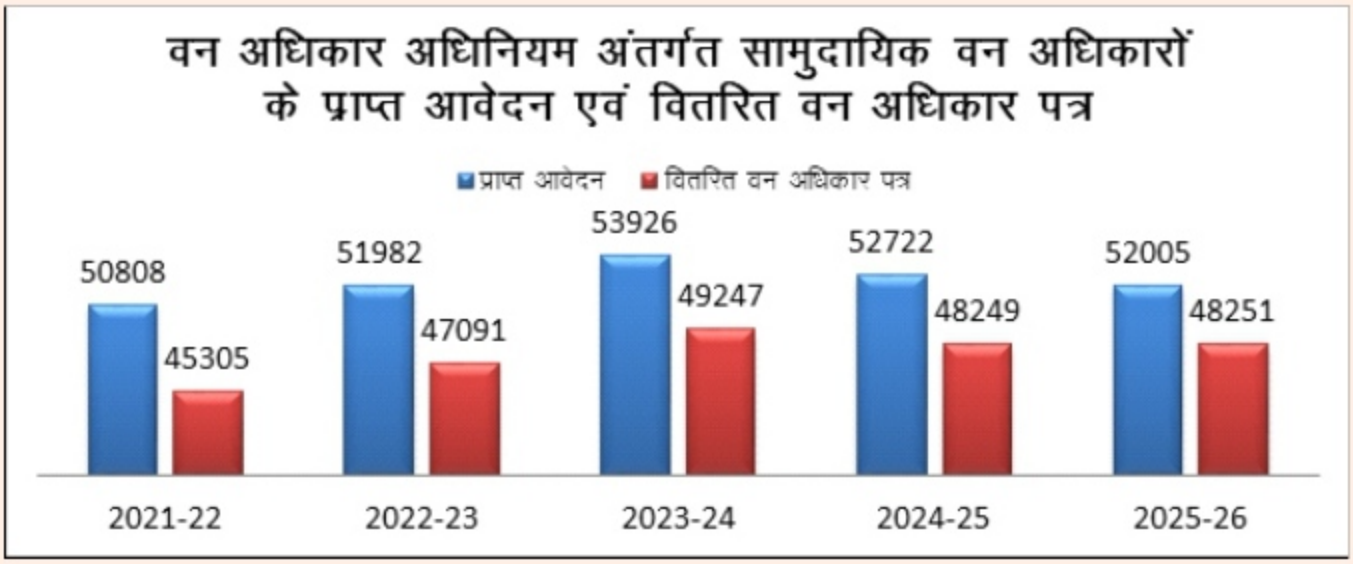

राज्य सरकार की प्राथमिकता व्यक्तिगत वन अधिकारों की मान्यता के साथ ही सामुदायिक वन अधिकारों विशेषकर सामुदायिक वन संसाधन अधिकार की मान्यता प्रदान करने पर है ताकि अधिनियम की मंशा के अनुसार स्थानीय समुदाय द्वारा अपने वन संसाधनों की दीर्घकालिक उपभोग हेतु सुरक्षा की जा सके तथा अपनी आजीविका का संवर्धन किया जा सके। इसी के तारतम्य में राज्य में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों की मान्यता के अंतर्गत माह नवंबर, 2025 की स्थिति में 4,396 वन अधिकार पत्र संबंधित ग्रामसभाओं (जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राही भी शामिल हैं) को 19,37,017.806 हेक्टेयर भूमि पर वितरित किए गए हैं।

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्राप्त ग्रामसभाओं (जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राही भी शामिल हैं) में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति (CFRMC) के गठन की कार्यवाही की जा रही है। माह नवंबर, 2025 की स्थिति में 4,396 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्य ग्रामसभाओं में से 3113 ग्रामसभाओं में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति (CFRMC) का गठन किया जा चुका है।

राज्य में वन अधिकार अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन रायपुर, दुर्ग एवं बेमेतरा को छोड़कर शेष 30 जिलो में किया जा रहा है। प्रभावी क्रियान्वयन के फलस्वरूप छत्तीसगढ़, देश में विभिन्न वन अधिकारों की मान्यता देने में अग्रणी राज्य है।

भाग - पाँच

अध्याय - 13
छत्तीसगढ़ में घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची*

S. No.	Name of Caste(s)/ Communities
1.	अहीर, ब्रजवासी, गवली, गोली, जादव, यादव, बरगाही, बरगाह, ठेठवार, राउत, गोवारी, ग्वारी, रावत, गोवरा, गवारी, ग्वारा, गोवारी, महाकुल, राउत, महकुल, गोप, ग्वाली, लिंगायत, गोपाल, यादव, राऊत, ग्वाला, गहिरा, गौली
2.	असारा, असाड़ा
3.	बैरागी, वैष्णव, थनापति
4.	बंजारा, बंजारी, मथुरा, नायक, नायकड़ा, धरिया, लभाना, लबाना लामने.
5.	बरई, तमोली, तम्बोली, कुमावट, कुमावत, वारई, बरई, चौरसिया.
6.	बढ़ई, सुतार, दवेज, कुन्देर (विश्वकर्मा).
7.	बारी
8.	वसुदेव, वसुदेवा, वासुदेव वासुदेवा, हरबोला, कापड़िया कापड़ी, गोंधली, थारवार.
9.	भड़भूंजा, भुंजवा, भुर्जी, धुरी, या धूरी
10.	भाट, चारण, सुतिया, सालवी, राव, जनमालोंधी, जसोंधी, मरूसोनिया.
11.	छीपा, भावसार, नीलगर, जीनगर, निराली, रंगारी, मनधाव.
12.	ढीमर, भोई, कहार, कहरा, धीवर/मल्लाह, नावड़ा/तुरहा, केवट, केंवट, कश्यप, निषाद, रायकवार, बाथम, कीर, ब्रितिया, वित्तिया, सिंगरहा, जालारी, जालारनलु (बस्तर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, उत्तर बस्तर कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, कोण्डागांव एवं सुकमा जिलों में), सोधिंया.
13.	पंवार, पोवार, भोयर, भोयार
14.	भुर्तिया, भुतिया, भोरथिया, भोरतिया
15.	भोपा, मानभाव
16.	भटियारा, हलवाई, गुरिया, गुड़िया, गुडीया
17.	चुनकर, चुनगर, कुलवंधया, राजगीर
18.	चितारी
19.	दर्जी, छीपी, छिपी, शिपी, मावी, (नामदेव)
20.	धोबी, बट्ठी, बरेठा, रजक, बरेठ
21.	मीना (रावत) देशवाली, मेवाती, मीणा
22.	किरार, किराड़, धाकड़
23.	गडरिया, धनगर, कुरमार, हटगर, हटकर, हाटकार, गाड़री, धारिया, धोषी, गड़रिया, गारी, गायरी, पाल, बघेले, गड़ेरी

24. कड़ेरे, धुनकर, धुनिया, धनका, कोडार
25. कोष्टा, कोष्टी, देवांगन, कोष्टा, माला, पद्मशाली, साली, सुतसाली, सलेवार, सालवी, देवांग, जन्द्रा, कोस्काटी, कोश्काटी, लिंगायत, गढ़वाल, गढ़ेवाल, गरेवार, गरावर, डुकर, कोल्हाटी.
26. धोली / डफाली / डफली / ढोली, दमामी, गुरव
27. गुसाई, गोस्वामी, गोसाई
28. गूजर (गुर्जर)
29. लोहार, लुहार, लोहपीटा, गड़ोले, हुंगा लोहार, लोहपटा, गड़ोला, लोहार (विश्वकर्मा).
30. गारपगारी, नाथ–जोगी, जोगीनाथ, हरिदास, नाथयोगी, जोगी, नाथजोगी
31. घोषी
32. सोनार, सुनार, झाणी, झाड़ी, स्वर्णकार, अवधिया, औधिया, सोनी.
33. (अ) काछी, कुशवाहा, शाक्य, मौर्य, कोयरी या कोइरी, पनारा, मुराई, सोनकर, कोईर।
    (ब) माली, सैनी, मरार, पटैल, हरदिहा, मरार
34. जोशी, भड्डारी, डकोचा, डकोता, भटरी, भडरी, भठरी
35. लखेरा, लखेर, कचेरा, कचेर
36. ठठेरा, कसार, कसेरा, तमेरा, तम्बटकर, ओटारी, ताम्रकार, तमेर, घड़वा, झारिया, कसेर
37. खातिया, खाटिया, खाती
38. कुम्हार, प्रजापति, कुंभार.
39. कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुर्मी, पाटीदार, कुलमी, कुल्मी, कुलम्बी, कुर्मवंशी, चन्द्राकर, चंद्रनाहू, कुंभी, गवैल, गमैल, सिरवी, कुन्बी, चंदनाहू, चन्नाहू, गबेल, कुन्वी, कुनवी, गवेल, गभेल
40. कमरिया
41. कौरव, कांवरे
42. कलार, जायसवाल, कलाल, डडसेना, कलवार
43. कलौता, कलौटा, कोलता, कोलटा
44. लोनिया, लुनिया, ओड़, ओड़े ओड़िया, नौनिया, मुरहा, मुराहा, मुड़हा, मुड़ाहा, नुनिया, नोनिया
45. नाई, सेन, सविता, उसरेटे, श्रीवास, म्हाली, नाव्ही, उसरेटे.
46. नायटा, नायड़ा
47. पनका, पनिका.
48. पटका, पटकी, पटवा
49. लोधी, लोधा, लोध
50. सिकलीगर

51. तेली, ठाठ, साहू, राठौर
52. तुरहा, तिरवाली, बड्डर
53. किसडी, कसडी
54. विलोपित
55. रोतिया, रौतिया
56. मानकर, नहाल
57. कोटवार, कोटवाल
58. खैरुवा
59. लोढ़ा, तंवर
60. मोवार, मौवार
61. रजवार
62. अघरिया
63. तिऊर, तूरी '
64. भारूड़
65. (विलोपित दिनांक 10.08.2017)
66. तेलंगा, तिलगा
67. राघवी
68. रजभर, राजभर
69. खारोल
70. सरगरा
71. गोलान, गवलान, गौलान
72. रज्जड़ रजझड़
73. जादम
74. दांगी
75. गयार / परधनिया
76. कुड़मी
77. विलोपित
78. बया महरा / कौशल, वया, बया
79. पिंजारा (हिन्दू)

80. विलोपित

81. अनुसूचित जातियां जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है.

82. आंजना

83. थोरिया, थुरिया, थुड़िया

84. गेहलोत मेवाड़ा

85. रेवारी

86. रूआला / रूहेला

मुस्लिम धर्मावलम्बी वर्ग/समूह

87. (1) रंगरेज
    (2) भिश्ती
    (3) छीपा
    (4) हेला
    (5) भटियारा
    (6) धोबी
    (7) मेवाती
    (8) पिंजारा, नद्दाफ, फकीर, बेहना, धुनिया, धुनकर.
    (9) कुंजड़ा, राईन
    (10) मनिहार, चुड़िहार
    (11) कसाई, कस्साव
    (12) मिरासी
    (13) मिरधा
    (14) बढ़ई (कारपेन्टर)
    (15) हज्जाम (बारबर)
    (16) हम्माल
    (17) मोमिन जुलाहा (वे जुलाहे जो मोमिन हैं).
    (18) लुहार, नागौरी
    (19) तड़वी
    (20) बंजारा
    (21) मोची

(22) तेली, नायता, पिंडारी (पिंडारा) कांकर.
(23) पेमदी
(24) कलईगर
(25) नालबन्द
(26) शीशगर

88 रिक्त

89. शौण्डिक, सुण्डी, सूड़ी एवं सोढ़ी

90. भूलिया–भोलिया, भुलिया

91. पोबिया

92. खर्रा, खडरा, खोडरा

93. रौनियार, कमलापुरी

94. बिंद, बींद, बिन्द, बीन्द

95. झोरा

टीप :- भारत शासन का राजपत्र (असाधारण) भाग दो संख्या–1, दिनांक 20 फरवरी, 2008 द्वारा 'तुरी' जाति को छ.ग. राज्य के अनुसूचित जाति की सूची में अनुक्रमांक 44 पर स्थापित किया गया है।

* **Disclaimer (अस्वीकरण)** उपरोक्तानुसार दी गई जानकारी अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग से प्राप्त की गई है, तथापि इस संबंध में प्रकाशित राजपत्र/आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान से प्राप्त जानकारी से मिलान कर लिया जावे।

❑❑❑❑❑

भाग - छः

अध्याय - 14
सारांश

छत्तीसगढ़ राज्य संविधान की पांचवी अनुसूची में सम्मिलित राज्य है। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग राज्य के सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के सर्वांगीण विकास हेतु निरंतर कार्यरत है। विभाग का प्रमुख उद्देश्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदायों को शिक्षा, रोजगार, आर्थिक सशक्तिकरण तथा सामाजिक समानता के अवसर प्रदान करना है।

विभाग प्रदेश में निवासरत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग की उन्नति के साथ–साथ उनकी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, संवर्धन एवं सामाजिक न्याय प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। साथ ही विभाग अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय की शैक्षिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए योजनाबद्ध तरीकों से अनेक योजनाओं का सतत क्रियान्वयन कर रहा है परिणामस्वरुप अनेक क्षेत्रों में आशातीत सफलताएं मिली हैं।

राज्य बनने के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग की सांस्कृतिक विरासत एवं विकास को चुनौती के रूप में स्वीकार किया गया है जनसंख्या के अनुपात में विभिन्न समस्याओं एवं आवश्यकताओं के परिपेक्ष्य में इन वर्गों की सर्वांगीण विकास को मूर्त रूप प्रदान करना विभाग की मुख्य प्राथमिकता रही है इस हेतु विभाग द्वारा अनेक अभिनव योजनाएं संचालित की जा रही है शैक्षणिक उत्थान के साथ स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक समरसता स्थापित करना विभाग का प्रमुख लक्ष्य है।

राज्य मुख्यालय पर प्रयास जैसी संस्था के संचालन से नक्सल प्रभावित जिलों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को बेहतर कॅरियर निर्माण हेतु और नए अवसर प्राप्त हुए हैं। राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु रायपुर में प्रयास बालक आवासीय विद्यालय एवं बिलासपुर में प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय वर्ष 2023 में स्वीकृत होने के पश्चात संचालित है। विभाग अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के शैक्षणिक उत्थान में सहयोग हेतु अनेक योजनाएं संचालित कर रहा है विभाग की शिक्षण संस्थानों तथा छात्रावास आश्रमों में शिक्षा के क्षेत्र में सूचना तकनीक आधारित शिक्षण स्मार्ट क्लास एवं कम्प्यूटर शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि भारतीय वर्तमान शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी नवाचारों से भिज्ञ होकर एवं दक्षता प्राप्त कर प्रतिस्पर्धात्मक बन सकें। विभिन्न शैक्षणिक आवासीय संस्थानों को आधुनिक स्वरूप देने के प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं।

वर्ष 2024–25 के दौरान विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, छात्रावास, कोचिंग, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। अल्पसंख्यक छात्रों हेतु छात्रावास/आवासीय सुविधाओं के विस्तार के साथ–साथ आधुनिक शिक्षण संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई।

आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में स्वरोजगार मूलक योजनाओं, कौशल विकास प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से युवाओं को रोजगार से जोड़ने के प्रयास किए गए। सहकारी संस्थाओं एवं विशेष प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से लाभार्थियों को व्यावसायिक दक्षता प्रदान की गई। सामाजिक समावेशन एवं सम्मान की भावना को सुदृढ़ करने हेतु विभाग द्वारा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों, प्रशिक्षण शिविरों तथा विकास परियोजनाओं का संचालन किया गया। कोविड–19 जैसी आपात परिस्थितियों में भी विभाग ने ऑनलाइन शिक्षा, कोचिंग एवं मार्गदर्शन के माध्यम से छात्रों की शिक्षा को निरंतर बनाए रखा।

समग्र रूप से वर्ष 2024–25 में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग ने समावेशी विकास की दिशा में प्रभावी पहल करते हुए समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

❑❑❑❑❑

प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना
जिला एम.सी.बी. (छ.ग.)
प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना
जिला एम.सी.बी. (छ.ग.)

VISIT US

https://x.com/TribalCgGov?s=08
https://www.facebook.com/share/15JsAVzB2r/
https://youtube.com/@cgtribalgov?si=GeHFLViscvVYzb9u
https://www.instagram.com/cg.tribalgov/profilecard/?igsh=eG1yaTFyamRjaG5p